

अध्याय II

नियमों एवं विनियमों का अननुपालन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

2.1 हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के संबंध में निर्धारितियों द्वारा बनाए गए अभिलेखों की जाँच की एवं शुल्क भुगतान एवं सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने की उपयुक्तता की जाँच की। हमने ₹ 61.44 करोड़ के राजस्व वाले सेनवेट क्रेडिट के गलत अनुदान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का गैर/अत्य भुगतान एवं ब्याज का भुगतान न करने के मामले देखे। हमने 78 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों द्वारा मंत्रालय को ये आपत्तियाँ सूचित की। मंत्रालय/आयुक्तालय ने (मई 2013) 76 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया एवं ₹ 60.74 करोड़ के राजस्व वाले इन सभी मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू/पूरी की। इन पैराग्राफों के विवरण परिशिष्ट III में उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया परन्तु सुधारात्मक कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी है। मंत्रालय ने एक ऑडिट पैराग्राफ का अभी उत्तर नहीं दिया है (मई 2013)।

विनिर्माण में प्रयुक्त न की गई विद्युत के उत्पादन में प्रयोग इनपुट सेवा एवं इनपुटों के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का प्रतिलोम न करना

2.2 सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6 (1) अनुबन्ध करता है कि इनपुट अथवा इनपुट सेवा, जो ऐसे अन्तिम उत्पाद जो छूट प्राप्त हैं अथवा शुल्क की "शून्य" की दर के लिए प्रभार्य हैं, के विनिर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं, उस पर विनिर्दिष्ट शुल्क का कोई क्रेडिट संस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

2.3 इसके अतिरिक्त, नियम 6(3) प्रावधान करता है कि यदि सेनवेट क्रेडिट सामान्य इनपुटों/इनपुट सेवाओं जो छूट प्राप्त माल के साथ-साथ शुल्कयोग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त होती हैं एवं उनके प्रयोग के अलग लेखे नहीं बनाए गये हैं, पर प्राप्त किया गया है, तो विनिर्माता वहाँ विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन या तो छूट प्राप्त माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर एक राशि का भुगतान करेगा, अथवा छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में अथवा के संबंध में अथवा छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में प्रयोग किये गए इनपुट सेवाओं को दिए जाने योग्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

2.4 भुवनेश्वर I आयुक्तालय में, पिंग आयरन के विनिर्माण में लगे, मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लि. ने इनपुटों जैसे पावर ऑयल, ट्रासफार्मर ऑयल, ऑयल एवं लुब्रीकेन्ट्स, बोरिक पाउडर, एलपीजी गैस इत्यादि एवं सामान्य इनपुट सेवाओं जैसे जीटीए, कोरियर सेवाओं इत्यादि पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। निर्धारिती ने विद्युत उत्पादन किया था जिसका ₹ 17.89 करोड़ मूल्य का हिस्सा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान मैसर्स ग्रिडको को बेचा गया था। चूँकि निर्धारिती द्वारा इनपुट/इनपुट सेवाओं के अलग लेखे नहीं बनाए गए थे, वह या तो बेची गई बिजली के मूल्य के दस प्रतिशत के रूप में ₹ 1.79 करोड़ की राशि अथवा मैसर्स ग्रिडको को बेची गई बिजली के उत्पादन में लगे सेनवेट क्रेडिट के बराबर एक राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी था।

2013 की प्रतिवेदन सं.17 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

2.5 जब हमने यह बताया (अगस्त 2008), मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2012) कि विद्युत एक उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद नहीं है, अतः, सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6 के प्रावधान मामले पर लागू नहीं होंगे। यद्यपि, 2009 (240) ईएलटी 641 (एससी) में वर्णित मैसर्स मार्लति सुजुकी लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्धारिती मैसर्ज ग्रिडको को बेची गई विद्युत के उत्पादन में प्रयुक्त इनपुटों एवं इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2013)।

तेल कम्पनियों को बेचे गए पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क का कम भुगतान

2.6 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(3)(डी) के अनुसार "संव्यवहार मूल्य" का अर्थ माल, जब बेचा जाए के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य मूल्य है, जिसमें मूल्य के रूप में प्रभावित राशि के अंतरिक्त कोई राशि जो क्रेता विज्ञापन अथवा प्रचार, विपणन एवं विक्रय संगठन व्यय, भण्डारण, बाहरी सम्भालाई, सर्विस वारन्टी, कमीशन अथवा कोई अन्य मामला, परन्तु जिसमें उत्पाद शुल्क, ब्रिकी कर एवं अन्य कर, यदि कोई हैं, ऐसे माल में वास्तविक रूप से भुगतान किये गए अथवा भुगतान योग्य सम्मिलित नहीं हैं, के लिए अथवा प्रावधान करने के लिए प्रभावित कोई राशि, सम्मिलित है परन्तु इस तक सीमित नहीं हैं, के विक्रय संबंधित होने के कारण निर्धारिती अथवा उसकी तरफ से किसी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2.7 कोचिन आयुक्तालय में पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण में लगे मै. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), कोच्ची रिफाईनरी ने तेल कम्पनियों को 15⁰ सैंटीग्रेड पर संगणित मात्रा पर आधारित, पाक्षिक रूप से निर्धारित, रिफाइनरी गेट प्राइस (आरजीपी) पर पाईपलाइन हस्तांतरण द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी की थी। प्रत्येक प्रेषित माल के लिए संव्यवहारों के लिए उत्पाद शुल्क बीजक तैयार किये गए थे एवं उत्पाद शुल्क बीजक में दर्शाये गए मूल्य पर शुल्क का भुगतान किया गया था। तेल कम्पनियों से भुगतान वाणिज्यिक बीजकों के आधार पर थे जो एक दस्तावेज अर्थात पंद्रह दिन के दौरान रिफाइनरी से निकसित मात्रा, जैसा कि प्राप्तकर्ता तेल कम्पनियों द्वारा पुष्टि की गई थी, को दर्शाते हुए संयुक्त प्रमाणपत्र के आधार पर पाक्षिक रूप से बनाए जाते थे। निर्धारिती ने वाणिज्यिक बीजक एवं उत्पाद शुल्क बीजक के बीच के कुल अन्तर के कारण, जिसके लिए शुल्क की छूट नहीं थी, वित्तीय वर्ष 10 के दौरान पारगमन लाभ के रूप में ₹ 6.28 करोड़ प्राप्त किए।

2.8 जब हमने यह बताया (नवम्बर 2010), आयुक्तालय ने कहा (अप्रैल 2012) कि निकासी शुल्क के भुगतान के लिए महत्वपूर्ण अवस्था है एवं निकासी के समय माल की स्थिति प्रासंगिक है एवं कानून में प्राप्ति मात्रा के संदर्भ में वास्तविक शुल्क देयता को निर्धारित करने के लिए क्रेताओं के परिसरों की खोजबीन के लिए प्रावधान नहीं है। आयुक्तालय ने आगे कहा कि पारगमन लाभ के मामले में वहाँ कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं हो रही थी एवं पारगमन लाभ में सम्मिलित विशिष्ट मूल्य पर शुल्क लगाना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के विरुद्ध है। यद्यपि, ₹ 17.04 करोड़ का सुरक्षात्मक एससीएन जारी किया गया था।

2.9 आयुक्तालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 4(1) की व्याख्या एवं संव्यवहार मूल्य की परिभाषा जैसा धारा 4(3)(डी) में परिभाषित है स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विक्रय के संबंध में, चाहे विक्रय के समय भुगतान योग्य हो या न हो, कोई राशि जिसके लिए क्रेता निर्धारिती को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, संव्यवहार मूल्य की संगणना में समझी जाएगी।

2.10 वाणिज्यिक और उत्पाद शुल्क बीजकों में दर्ज किये गए आंकड़ों में अन्तर निकासी के समय निकाले गए एवं विर्निमित माल के लिए देने योग्य था और अतः प्राप्त कोई भी अतिरिक्त प्रतिफल संव्यवहार मूल्य का हिस्सा होगा।

2.11 इसके अतिरिक्त, परिपत्र संख्या 804/2005 दिनांक 4 जनवरी 2005 के पैरा 2(i) में बोर्ड ने स्पष्ट किया कि शुल्क अन्तिम उपयोगकर्ता द्वारा निकासी मात्रा एवं वास्तव में प्राप्त मात्रा के बीच किसी विशिष्ट मात्रा पर दिया जाएगा।

2.12 मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2013)।

सेवा कर

2.13 हमने सेवा कर के भुगतान के संबंध में निर्धारितियों द्वारा बनाये गए अभिलेखों की जाँच की और सेनेट क्रेडिट का लाभ उठाने तथा सेवा कर के भुगतान की सटीकता की जाँच की। हमने ₹ 478.04 करोड़ के राजस्व वाले सेनेट क्रेडिट की गलत मंजूरी, सेवा कर के गैर/अल्प भुगतान तथा ब्याज के गैर भुगतान के मामले देखे। हमने 124 ड्रॉफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से इन अवलोकनों को मंत्रालय के समक्ष रखा। मंत्रालय/आयुक्तालय ने 123 ड्रॉफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर ली तथा ₹ 476.62 करोड़ के राजस्व वाले इन सभी मामलों में सुधारात्मक कदम उठाये/सुधार किये। इन पैराग्राफों का विवरण परिशिष्ट IV में उपलब्ध है। एक ड्रॉफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ के संबंध में जबकि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली, अभी भी सुधारात्मक कार्रवाई पूरी होने की सूचना दी जानी है।

श्रमबल की भर्ती तथा आपूर्ति एजेंसी सेवायें

2.14 वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(68) के अनुसार, "श्रमबल की भर्ती अथवा आपूर्ति एजेंसी" का तात्पर्य है कि किसी अन्य व्यक्ति को अस्थायी अथवा अन्य तरीके से श्रमबल की आपूर्ति या भर्ती के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से कोई भी सेवा देने से जुड़ा कोई भी व्यक्ति।

2.15 राँची आयुक्तालय में मै. सेल रिफैक्टरीज़ इफको इकाई, रामगढ़ ने अप्रैल 2008 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान छ: श्रमबल भर्ती एजेंसियों को ₹ 6.28 करोड़ का भुगतान किया जिस पर एजेंसियों द्वारा उगाहीयोग्य ₹ 78.67 लाख के सेवाकर का भुगतान नहीं किया गया। इसके कारण ₹ 78.67 लाख के सेवा कर की वसूली नहीं हुई।

2.16 जब हमने इसे उठाया (मई 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा का तर्क मान लिया (जनवरी 2013) और एक सेवा प्रदाता को कारण बताओ नोटिस जारी करना सुनिश्चित किया। अन्य कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने हैं।